राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. एफ. 01-02-2010-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में, प्रकाशन की तारीख से, शिवपुरी जिले की तहसील पोहरी की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त बैराढ़-1 के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 31 तथा राजस्व वृत्त पोहरी-2 के पटवारी हल्का क्रमांक 32 से 40 तथा 44 को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त बैराढ़-1 के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 31 तथा राजस्व वृत्त पोहरी-2 के पटवारी हल्का क्रमांक 32 से 40 तथा 44 को समाविष्ट करते हुए, एक नवीन तहसील बैराढ़ का सृजन करती है, जिसमें कुल 41 पटवारी हल्के तथा 114 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय बैराढ़ में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. एफ. 01-02-2010-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 01-02-2010-सात-6, दिनांक 9 जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतत्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 9th July 2013

No. F-01-02-2010-VII-6.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Paadesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tahsil Pohri, District Shivpuri from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding there from Patwari Halka No. 1 to 31 of Revenue Circle Berad-1 and Patwari Halka No. 32 to 40 and 44 Revenue Circle Pohri-2 and creates a new Tehsil Berad comprising of Patwari Halka No. 1 to 31 of Revenue Circle Berad-1 and Patwari Halka No. 32 to 40 and 44 of Revenue Circle Pohri-2, in which the total Patwari Halkas shall be 41 and Villages shall be 114. The headquarter of the said Tehsil shall be a Berad.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. K. CHATURVEDI, Principal Secy.

नर्मदा घाटी विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्र. एफ. 31-07-2013-सत्ताईस-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 4 की उपधारा (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर जिले की पाटन तहसील में स्थित 4 जल उपभोक्ता संस्थाओं क्रमश: मजीठा, महगंवा, नटवारा एवं गुबराकलां की प्रबंध समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पदाविध में उनकी पदाविध के अवसान की तारीख अर्थात् 05 जून 2013 से छ: मास की कालाविध दिनांक 04 दिसम्बर 2013 तक के लिये वृद्धि की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. रवि, अवर सचिव.